हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

T.I. प्र.सं. 89/2017

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए 8

पत्रावली समक्ष लोक अदालत कैम्प मेंट खैरवाल में पेश हुई प्रार्थी मंगलाराम के अधिवक्ता श्री उपस्थित हुआ। अप्रार्थी मंगलाराम व लगायत व उपस्थित। उभयपक्षों के कैम्प मेंट में सुलह हुआ। पत्रावली का मूल वाद समस्या एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षों के आपसी रिश्ते एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम खैरवाल के अप्रार्थी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम खैरवाल तहसील दौसा स्थित ख.नं. 1711/2.03, 1713/2024/0.08, 1725/0.59, 1727/0.26, 1728/0.27, 1729/0.48, 1730/0.37, 1731/1.11, 1732/0.05, 1931/0.94, तथा 1934/0.72 है। कुल कि. 11 कुल रकबा 6.88 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण कैसल हुआ है। नकल से मुक्त है तथा मूल वाद के सम्बन्ध है तथा वाद पूर्व लोक अदालत दौसा निर्णय सम्बन्ध लोक अदालत कैम्प मेंट खैरवाल के समक्ष आगे की लिए रखा जाकर सुनवाई समाप्त।

निशानियां
जयराम
अति. सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर
दौसा